झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः झारखंड भवन उपविधि, 2016 के अधिसूचित होने की तिथि–05.04.2016 के पूर्व बिना स्वीकृति के निर्मित्त भवनों के नक्शों की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

3263
18/05/17

राज्य के शहरी निकायों/प्राधिकारों के नियंत्रण क्षेत्र में ऐसा पाया गया है कि कुछ भवनों के निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकार से नक्शे की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार के निर्माण से संबंधित भवनों के अधिवासी को पर्यावरण संबंधित समस्या के साथ–साथ जानमाल का खतरा भी बना रहता है तथा निकाय/ प्राधिकार को राजस्व की हानि के साथ–साथ नगरीय आधारभूत संरचना के अधिष्ठापन में समस्या आती है।

2. उपरोक्त विषयों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

2.1 इसके अलावा, झारखंड भवन उपविधि, 2016 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक–05.04.2016 के पूर्व निर्मित्त वैसे भवन, जिनके निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकार से तत्संबंधी नक्शे स्वीकृत नहीं कराए गए हैं, की घटनोत्तर स्वीकृति, तत्समय संबंधित प्राधिकार में प्रवृत भवन उपविधि के प्रावधानों के अनुसार दिनांक–31.12.2017 तक दिए जा सकेंगे।

2.2 इस प्रावधान के तहत् झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2017 की अधिसूचना की तिथि–15.05.2017 से छः (06) महीने की अवधि तक, सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे तथा उनका नियमानुसार निष्पादन दिनांक–31.12.2017 तक किया जाना अनिवार्य होगा।

2.3 सभी शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकारों के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं संबद्ध कर्मचारियों पर यह दायित्व होगा कि भवन उपविधि के तहत् स्वीकृति प्राप्त किए बिना उनके अधीनस्थ क्षेत्र में भवनों का निर्माण न हो। इसका उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

3. उक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.05.17 में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।

18/5/17

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

T.P./Amendment BBL/Sankalp/18-05-17 (1 of 2)

ज्ञापांक–07/न0वि0/अधि0/ससो0/102/2013........3263 राँची, दिनांक–18/05/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–07/न0वि0/अधि0/ससो0/102/2013........3263 राँची, दिनांक 18/05/17

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी उपायुक्त, झारखंड/सभी नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, माडा/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी नगर निकाय, झारखंड/सभी विभागीय पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/17

सरकार के सचिव